उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-47/1142/एक-1-2015-1(34)/2014

लखनऊ: दिनाँक: 06 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पीलीभीत	पीलीभीत	जहानाबाद	भरा पचपेड़ा	2	0.218	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को नया औद्योगिक हब की स्थापना हेतु ।
2					3मि.	12.996	
3					4अ	14.152	
4					5	0.409	
5					6	14.364	
6					7	0.113	
7					8अ	34.985	
8					9अ	12.599	
9					10अ	1.214	

shasnadesh.up.nic.in

10					11	0.688	
11					12अ	17.928	
12					14अ	24.801	
13					15अ	0.130	
14					18	20.234	
15					19ब	0.405	
16					20ब	11.170	
17					20स	0.636	
18					55	20.357	
19					58ब	4.881	
20					60	0.523	
21					61अ	0.202	
22					64अ	8.377	
23					65अ	0.405	
24					66अ	0.809	
25					67अ	0.206	
26					68अ	38.978	
27					69	0.623	
28					70	9.065	

shasnadesh.up.nic.in

29					71अ	3.662	
30					72अ	33.346	
31					74	12.800	
32					79ब	105.213	
33					81अ	77.574	
				योग	**कुल 33 गाटा**	**484.063 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1142(1)/एक-1-2015-1(34)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पीलीभीत को उनके पत्र संख्या-103(1)/डीएलआरसी-15, दिनाँक 06.06.2015 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनाँक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि कुल 33 गाटा रकबा 484.063 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वाँछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक

shashadesh.up.nic.in

विकास निगम को नया औद्योगिक हब की स्थापना हेतु दिया जायेगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

3. ग्राम सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण केवल उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को नया औद्योगिक हब की स्थापना हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी योजना/कार्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। निजी उद्योग हेतु भूमि 30-30 वर्ष कुल 90 वर्ष की अवधि हेतु पटटे पर उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका न हो। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1142(2)/एक-1-2015-1(34)/2014 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यू0पी0एस0आई0डी0सी0 काम्पलेक्स, ए-1/14 लखनपुर, पो0बा0 नं0-1050, कानपुर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in